'समापन-सह-अधिभोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण वित्तीय हानि', 'विभागीय प्रभार वसूलने में विफलता के कारण हानि' और 'ठेकेदारों को अनुचित लाभ'

[लोक लेखा समिति के 25वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

लोक लेखा समिति
(2022-23)

अट्ठावनवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पीएसी संख्या 2287

अट्ठावनवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

"समापन-सह-अधिभोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण वित्तीय हानि','विभागीय प्रभार वसूलने में विफलता के कारण हानि' और 'ठेकेदारों को अनुचित लाभ"

[लोक लेखा समिति के 25वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

सत्यमेव जयते

14.12.2022 *को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।*

14.12.2022 *को राज्य सभा के सभा पटल पर रखा गया।*

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/अग्रहायण, 1944 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
लोक लेखा समिति (2022-23) की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		1
अध्याय-एक	प्रतिवेदन	2
अध्याय-दो	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	17
अध्याय-तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती.....	30
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	31
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किये हैं/कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किये हैं.....	32
परिशिष्ट		
एक	*लोक लेखा समिति (2022-23) की दिनांक 5 दिसम्बर, 2022 को हुई बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।	—
दो	लोक लेखा समिति के 25वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण	33

*संलग्न नहीं।

लोक लेखा समिति (2022-23) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री जगदम्बिका पाल
5. श्री विष्णु दयाल राम
6. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
7. श्री राहुल रमेश शेवाले
8. श्री जी. एम. सिद्देश्वर
9. श्री बृजेन्द्र सिंह
10. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
11. डॉ. सत्यपाल सिंह
12. श्री जयंत सिन्हा
13. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
14. श्री राम कृपाल यादव
15. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

16. श्री शक्तिसिंह गोहिल
17. श्री भुबनेश्वर कालिता
18. डॉ. अमर पटनायक
19. डॉ. सी.एम. रमेश
20. रिक्त*
21. डॉ. एम. थंबीदुरई
22. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

सचिवालय

1. श्री टी.जी. चन्द्रशेखर - अपर सचिव
2. श्रीमती भारती एस. टुटेजा - निदेशक
3. सुश्री मालविका मेहता - अवर सचिव

---

*श्री वि. विजयसाई रेड्डी 21 जून, 2022 को राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप समिति के सदस्य नहीं रहे।

प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'समापन-सह-अधिभोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति न होने के कारण वित्तीय हानि', 'विभागीय प्रभार वसूल करने में विफलता के कारण हानि' और 'ठेकेदारों को अनुचित लाभ' विषयक समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह अट्ठावनवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. पच्चीसवां प्रतिवेदन 09 फरवरी, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया/राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर 27 जून, 2022 को प्राप्त हो गए थे। समिति ने 05 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में अट्ठावनवें प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश परिशिष्ट – एक में दिया गया है।

3. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से, समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन में **मोटे** अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

4. समिति, इस मामले में समिति सचिवालय और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उनको दी गई सहायता की सराहना करती है।

5. पच्चीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट – दो में दिया गया है।

नई दिल्ली;

07 दिसंबर, 2022

16 अग्रहायण, 1944 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

अध्याय-एक

प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति का यह प्रतिवेदन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'समापन-सह-अधिभोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति न होने के कारण वित्तीय हानि', 'विभागीय प्रभार वसूल करने में विफलता के कारण हानि' और 'ठेकेदारों को अनुचित लाभ' विषयक समिति के 25वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की- गई-कार्रवाई से संबंधित है।

2. समिति का यह 25वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) दिनांक 09.02.2021 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसमें छह टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त हो गए हैं और उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हे सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

पैरा सं. 1-6 **कुल:06**

अध्याय – दो

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके सम्बन्ध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

शून्य **कुल: 00**

अध्याय – तीन

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके सम्बन्ध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

शून्य

कुल: 00

अध्याय –चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके सम्बन्ध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किए हैं

शून्य

कुल: 00

अध्याय – पांच

3. समिति द्वारा विषय की विस्तृत जांच से पता चला कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के द्वारका, नई दिल्ली के स्टाफ क्वार्टरों हेतु समापन- सह-अधिभोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के परिणामस्वरूप उनके निर्माण पर किया गया 2.81 करोड़ रूपए का व्यय व्यर्थ सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त, क्वार्टरों के अनुरक्षण तथा निगरानी तथा एचआरए के भुगतान पर 0.88 करोड़ रूपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया गया तथा 1.53 करोड़ रूपए राशि के लाइसेंस शुल्क की भी प्राप्ति नहीं हुई थी। यह भी देखा गया कि सीपीडब्ल्यूडी करेंसी नोट प्रेस और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक के निर्माण कार्यों पर विभागीय शुल्क लगाने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप इन प्रेसों की स्थिति पर भ्रम के कारण 0.59 करोड़ रुपये के राजस्व का कम संग्रह हुआ। यह भी पाया गया कि संविदा शर्तों का उल्लंघन करके केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार को 0.56 करोड़ रूपए का अनुचित लाभ पहुंचाया।

4. समिति ने आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न उपायों की सिफारिश की थी जैसे परियोजनाओं के निगरानी तंत्र को मजबूत करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समयबद्ध समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में देरी/विचलन की कोई भी घटना स्वचालित रूप से आ सके; एक निश्चित समय सीमा के भीतर ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन; समय पर पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या के साथ-साथ वेब आधारित निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद से विलंबित या समय से पीछे चल रही परियोजनाओं की संख्या के संदर्भ में डब्ल्यूबीपीएमएस के प्रभाव से अवगत कराया जाना; इस तरह के सहायक कार्यों के संबंध में सभी संबंधित एजेंसियों को एसओपी के साथ स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि एजेंसियां अपनी जिम्मेदारियों के बारे में अच्छी तरह से अवगत हों और काम पूरा किए जाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से भी अवगत हो। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि सभी पुराने डेटा (पुराने रिकॉर्ड) को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर डिजिटाइज़ किया जाए ताकि उस तक आसानी से पहुँचा जा सके; संबंधित अधिकारियों को मौजूदा नियमों और विनियमों के बारे में जागरूक करने/उन्हें अद्यतन रखने के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जा सकता है। समिति की इच्छा थी कि बोलीदाताओं को उन अनुमानों के लिए भुगतान करने के लिए अनुबंधों में उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाएं जो काफी हद भिन्न होते हैं ताकि वे कार्यों की वस्तुओं के अनुमान प्रस्तुत करते समय दोगुना सतर्क रहें। समिति चाहती थी कि अनुबंधों के ऐसे मामलों से अवगत कराया जाए जिनमें भिन्नता पाया गयी थी और पिछले तीन वर्षों में ऐसे मामलों की सीमा या परिमाण से भी अवगत कराया गया था। समिति

ने यह जानने की कोशिश की थी कि क्या मंत्रालय/सीपीडब्ल्यूडी ने सीपीडब्ल्यूडी के अनुबंध समझौतों का कोई आकलन किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य के समझौतों में शामिल करने से पहले ऐसे खंड, जिनमें काम की वस्तुओं की लागत में भ्रम पैदा होता है, को फुलप्रूफ बनाया जाता है।

5. समिति के 25वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की–गई-कार्रवाई टिप्पणों को इस प्रतिवेदन के संगत अध्यायों के अनुवर्ती पैराओं में पुनः प्रस्तुत किया गया है। समिति अब मूल प्रतिवेदन में की गई अपनी कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की –गई- कार्रवाई पर विचार करेगी जिन पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है।

6. समिति चाहती है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अध्याय-एक में अंर्तविष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के सन्दर्भ में की-गई-कार्रवाई टिप्पण सभा में प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के छह महीने के भीतर प्रस्तुत करे।

सिफ़ारिश पैरा सं. 1

7. समिति ने नोट किया कि सीपीडब्ल्यूडी ने भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के लिए 57 आवासों का निर्माण किया और ठेकेदार को उसके लिए 2.81 करोड़ रुपये का भुगतान किया। समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि जनवरी 2005 में पूरा होने के लिए निर्धारित कार्य, अक्टूबर 2009 में ही पूरा किया जा सका, और लगभग 9 वर्षों की असाधारण देरी के बाद, अगस्त 2018 में डीडीए से समापन-सह-अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ था। समिति ने पाया कि सीपीडब्ल्यूडी ने अपने की-गई- कार्रवाई टिप्पणों में कहा था कि उसे डीडीए द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज आईएमडी को प्रदान करके प्रमाण पत्र प्राप्त करने में केवल आईएमडी की सहायता करनी थी। हालांकि, इसके विपरीत, सचिव ने समिति के समक्ष अपने बयान में कहा कि यदि सीपीडब्ल्यूडी ने मकानों का निर्माण पूरा कर लिया है तो पूरा होने के बाद, उचित समय के भीतर अधिभोग और अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। सचिव के अनुसार, डीडीए और आईएमडी भी जिम्मेदार हैं क्योंकि आवंटियों ने पहले ही कब्जा लेना शुरू कर दिया था और वे मकानों में रह रहे थे लेकिन अधिभोग और समापन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। समिति को यह बात और भी खराब लगी कि 9 साल की

देरी को किसी भी स्तर पर गंभीरता से नहीं लिया गया था और समिति द्वारा उठाए जाने के बाद ही मंत्रालय ने कार्रवाई की थी और आखिरकार 3/8/18 को अर्थात इस विषय पर मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य के तीन दिनों के भीतर अधिभोग-सह-समापन प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसके अलावा, मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए जाने से एक दिन पहले अर्थात् 11.3.2020 को सीपीडब्ल्यूडी ने अपने कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की कि ग्राहक को भवन देने से पहले समापन-सह-अधिभोग प्रमाण पत्र ले लिया गया है। समिति ने मंत्रालय के लिखित उत्तर से यह भी नोट किया कि परियोजनाओं की प्रगति को वेब आधारित परियोजना निगरानी प्रणाली (डब्ल्यूबीपीएमएस) सहित विभिन्न प्रकार के प्रबंधन साधनों का उपयोग करके अधिकारियों द्वारा फील्ड और हेड क्वार्टर स्तरों पर निगरानी की जाती है। समिति ने मंत्रालय के उत्तर से आगे नोट किया कि सीपीडब्ल्यूडी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) को लागू करेगी जिससे परियोजनाओं की निगरानी और वास्तविक समय के आधार पर सुधार के उपाय किए जाएंगे। मौखिक साक्ष्य के दौरान सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि अधिभोग और समापन प्रमाण पत्र ऑनलाइन और एक निश्चित समय सीमा के भीतर जारी किए जा रहे हैं। समिति यह नोट करके निराश है कि इस तरह की निगरानी प्रणाली के बावजूद, देरी नहीं पकड़ी गई और मंत्रालय ने कार्रवाई तभी की जब इस विषय को समिति द्वारा उठाया गया। इसलिए, समिति ने यह सिफारिश की थी कि निगरानी तंत्र को यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत किया जाए कि विलंब / विचलन का कोई भी मामला समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए स्वतः वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आ जाए। समिति इस बात पर जोर देते हुए कि ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन पूरी प्रक्रिया की समीक्षा और संचालन के सभी क्षेत्रों में प्रक्रियाओं के मानकीकरण के बाद ही किया जाना चाहिए, चाहती थी कि इस प्रणाली को एक निश्चित समय सीमा के भीतर लागू किया जाए और समिति को इसके बारे में अवगत कराया जाए। समिति यह भी चाहती है कि उसे उन परियोजनाओं की संख्या जो समय पर पूरी हो चुकी हैं और साथ ही उन परियोजनाओं की संख्या, जिनमें वेब आधारित निगरानी प्रणाली के लागू होने के बाद से देरी हुई है अथवा जो निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं, के संदर्भ में डब्ल्यूबीपीएमएस के प्रभाव से भी अवगत कराया जाए। समिति यह भी जानना चाहती है कि क्या डीडीए और आईएमडी में अधिभोग और समापन प्रमाण पत्र देरी से जारी करने के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई है, और अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना आवंटन कर दिए गए।

8. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है:-

"सीपीडब्ल्यूडी में कार्यान्वित की जा रही ईआरपी आवेदन का उद्देश्य सभी मैनुअल प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करना और डैशबोर्ड निगरानी और नियंत्रण के लिए इसे एकीकृत करना है। ईआरपी प्रणाली को मौजूदा प्रक्रियाओं के गहन अध्ययन और समीक्षा के बाद कार्यान्वित किया जा रहा है और जहां भी आवश्यक हो, व्यावसायिक प्रक्रियाओं की पुन: इंजीनियरिंग की जा रही है। ईआरपी आवेदन जून 2022 तक पूरी तरह से लागू होने की संभावना है। डब्ल्यूबीपीएमएस प्रगति की निगरानी करने और जहां भी देरी हो रही है, सुधारात्मक उपाय करने में मदद करता है। डब्ल्यूबीपीएमएस की स्थापना के बाद से, पिछले 10 वर्षों में बेहतर निगरानी के कारण 2786 निर्माण कार्यों को समय पर पूरा किया गया है। ओसी प्राप्त करने में आईएमडी की कोई भूमिका नहीं है। डीडीए में देरी के लिए निदेशक (भवन), डीडीए को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मामले की जांच के बाद चेतावनी पत्र जारी किया गया।"

9. लेखापरीक्षा ने अपनी जाँच टिप्पणियों में निम्नवत बताया है:

"निगरानी तंत्र को सशक्तिकरण करने पर मंत्रालय का जवाब मौन है। जैसा भी हो, मंत्रालय का उत्तर ईआरपी आवेदन पर निगरानी उद्देश्यों के लिए पूर्ण निर्भरता दर्शाता है, जिसे अभी लागू किया जाना है और इसलिए उचित नहीं है। इसके अलावा, ईआरपी आवेदन के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में पीएसी को सूचित किया जाए।

पुनरीक्षण के दौरान, डब्ल्यूबीपीएमएस से सृजित पूर्ण कार्यों की रिपोर्ट से यह सत्यापित किया गया था कि 2786 निर्माण कार्य समय पर पूरे किए गए थे। तथापि, यह भी देखा गया कि कुल कार्यों का 81.6% होने के कारण 12378 निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुए थे। इस प्रकार, केवल 18.4% कार्य समय पर पूरे हुए। 12378 में से 31.03.2021 तक पूर्ण, लंबित निर्माण कार्यों का विवरण, पूर्ण होने की प्रारंभिक निर्धारित तिथि से पूर्ण होने में विलम्ब को स्पष्ट रूप से दर्शाता है और कार्यों के अभी भी पूरा नहीं होने के कारणों के साथ-साथ पूरा होने की प्रारंभिक निर्धारित तिथि के विवरण की सूचना पीएसी को दी जानी चाहिए।
श्री एस. के. त्रिपाठी, ईई (सी) और श्री एस. बी. शुक्ला, ईई (ई) के खिलाफ जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही का परिणाम पीएसी को अवगत कराया जा सकता है।"

10. लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के जवाब में मंत्रालय ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया है:-

"परियोजनाओं के पूर्णता प्रमाण पत्र की निगरानी के लिए वेब आधारित परियोजना निगरानी प्रणाली में संशोधन करके निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। ईआरपी एप्लिकेशन का विकास प्रगति पर है। ईआरपी अनुप्रयोगों के कई मॉड्यूल जैसे लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल, ई-निविदा और ई-निलामी मॉड्यूल, मॉडल पीई/डीई मॉड्यूल और लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल को पूरा कर लिया गया है। अन्य मॉड्यूल प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। कार्यों का विवरण डब्ल्यूबीपीएमएस में रखा जाता है, लंबित निर्माण कार्यों का डेटा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदान किया जाता है। परियोजनाओं में देरी के व्यापक कारण कोविड -19, अपर्याप्त धन, स्थानीय निकाय की मंजूरी, साइट की मंजूरी, भूमि के मुद्दे, ठेकेदारों की विफलता और ग्राहकों से अनुमोदन और प्राकृतिक कारक आदि हैं।

दिनांक 22.10.2020 के आदेश द्वारा नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद श्री त्रिपाठी, ईई (सी) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया है। श्री शशि भूषण शुक्ला, ईई (सी) के मामले में दिनांक 05.04.2022 के आदेश के माध्यम से उन पर दंड लगाया गया है।"

11. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिए क्वार्टरों के निर्माण के बाद पूर्णता-सह-अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने में 9 वर्ष के विलंब को ध्यान में रखते हुए समिति ने इच्छा व्यक्त की थी समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में विलंब/विचलन के किसी भी मामले को स्वचालित रूप से आगे बढ़ाने को सुनिश्चित करने हेतु सीपीडब्ल्यूडी में निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए। इस बात पर जोर देते हुए कि ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन पूरी तरह से प्रक्रिया की समीक्षा और संचालन के सभी क्षेत्रों में प्रक्रियाओं के मानकीकरण के बाद किया जाए, समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि प्रणाली को एक निश्चित समय सीमा के भीतर लागू किया जाए और समिति को इससे अवगत कराया जाए। समिति ने समय पर पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या के संदर्भ में वेब आधारित परियोजना निगरानी प्रणाली (डब्ल्यूबीपीएमएस) के प्रभाव के साथ- साथ वेब आधारित निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन के कारण जिन परियोजनाओं में विलंब हुआ की संख्या या समय से पीछे चल रही परियोजनाओं की संख्या से भी अवगत कराए जाने की इच्छा व्यक्त की थी। समिति ने आगे यह जानने की इच्छा व्यक्त की थी कि क्या पूर्णता-सह-अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने में हुए विलंब और अपेक्षित

प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किए गए आवंटन के लिए डीडीए और आईएमडी में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी।

समिति मंत्रालय के उत्तर से नोट करती है कि समिति की सिफारिश के अनुसार, ईआरपी एप्लिकेशन को जून 2022 तक पूरी तरह से लागू किया जाना था। तथापि, जून 2022 में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गए की गई कार्रवाई नोट के अनुसार, समिति यह पाती है कि ईआरपी एप्लिकेशन अभी भी प्रगति परं है। समिति नोट करती है कि ईआरपी अनुप्रयोगों के कुछ मॉड्यूल जैसा कि लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल, ई-टेंडरिंग और ई-ऑक्शन मॉड्यूल, मॉडल पीई/डीई मॉड्यूल और लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल पूरा कर लिया गया है। परियोजनाओं की निगरानी के लिए ईआरपी पर पूर्ण निर्भरता को देखते हुए, समिति मंत्रालय को आदेश देती है कि वह प्राथमिक तौर पर ईआरपी को पूरी तरह से लागू करे और उसे परियोजनाओं को समय से पूरा करने को सुनिश्चित करने में तत्सम्बंधी परिणामी प्रभाव से अवगत कराया जाएं। इसके अलावा, समिति एक अन्य सिफारिश पर मंत्रालय के उत्तर से नोट करती है कि स्वत: उत्पन्न करने हेतु डब्ल्यूबीपीएमएस को फिर से प्रोग्राम किया गया है और कार्यों के पूरा होने में हुए विलंब के मामले में अगले उच्च अधिकारी को एक संदेश अग्रेषित करता है। समिति को कार्यों के पूरा करने हुए विलंब के मामले में अगले उच्च अधिकारी द्वारा कार्रवाई करने हेतु निर्धारित समय-सीमा से अवगत कराया जाए। समिति को संशोधन के बाद से परियोजनाओं के पूरा होने पर परिणामी प्रभाव से भी अवगत कराया जाए।

डब्ल्यूबीपीएमएस के प्रभाव के संदर्भ में, समिति मंत्रालय के उत्तर से नोट करती है कि इसकी स्थापना के बाद से, पिछले 10 वर्षों में बेहतर निगरानी के कारण 2786 कार्य समय पर पूरे किए गए। इस प्रकार, समय पर पूरे किए गए 2786 कार्यों का आंकड़ा कुल कार्यों का केवल 18.4प्रतिशत था। समिति दी जा रही चुनिंदा और अधूरी जानकारी से क्षुब्ध है। इसके अलावा, समिति यह पाती हैं कि 81.6 प्रतिशत परियोजनाओं में विलंब हो रहा है, परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब को कम करने का उद्देश्य हासिल कर पाना मुश्किल है। समिति ने अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराते हुए कहा कि निगरानी तंत्र को पर्याप्त रूप से मजबूत किया जाए तथा परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाइन सिस्टम को अनिवार्य रूप से समय पर मैनुअल हस्तक्षेप द्वारा समर्थित किया जाए।

सिफारिश पैरा संख्या 2

12. समिति ने नोट किया था कि सीपीडब्ल्यूडी को डीडीए से पूर्णता-सह-अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक था। समिति ने यह भी नोट किया था कि आईएमडी ने बार-बार सीपीडब्ल्यूडी से 4 वर्ष अर्थात 2009 से 2013 तक इसे हासिल करने का अनुरोध किया । समिति ने आगे नोट किया था कि डीडीए की आवश्यकताओं के आधार पर, सीपीडब्ल्यूडी ने कई बार दस्तावेज प्रस्तुत किए, तथापि, विभिन्न कमियों के कारण मामला दोनों संगठनों के बीच आगे-पीछे होता रहा। समिति ने पाया कि नवंबर 2015 में लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर, सीपीडब्ल्यूडी ने बताया कि जून 2012 में डीडीए द्वारा वांछित आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना बाकी था क्योंकि यह परियोजना से संबंधित पुराने अभिलेखों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बोझिल अभ्यास था और संबंधित प्रभाग अन्य कार्य भी कर रहा था। इसके अलावा, सीपीडब्ल्यूडी ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में यह बताया था कि डीडीए का काम न तो पारदर्शी था और न ही सहयोगात्मक था; डीडीए ने सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अपने काउंटरों पर जमा किए गए दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण सीपीडब्ल्यूडी को डाक द्वारा दस्तावेज जमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डीडीए ने कभी भी अपनी टिप्पणियों को एक बार में संप्रेषित नहीं किया और अपनी टिप्पणियों को टुकड़ों में प्रदान किया और सीपीडब्ल्यूडी से लंबे पत्राचार और सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों के विभिन्न व्यक्तिगत दौरों के बाद और कई बार, डीडीए ने सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्राप्ति से स्पष्ट रूप से इनकार भी किया। समिति सीपीडब्ल्यूडी द्वारा डीडीए के कार्यकलापों पर की गई तीखी टिप्पणी को नोट कर हैरान है और समिति यह समझ पाने में सक्षम नहीं थी कि सीपीडब्ल्यूडी ने समय पर समाधान हेतु इस मुद्दों को मंत्रालय के साथ क्यों नहीं उठाया। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित थी कि मंत्रालय ने भी केवल यह कह कर कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सीपीडब्ल्यूडी के संबंधित प्रभाग द्वारा उत्तर दिए गए थे और अपने नियंत्रण वाली दो एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के लिए किसी भी जिम्मेदारी से स्वयं को मुक्त कर लिया था। समिति ने मंत्रालय के उदासीन और लापरवाह दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसने संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने या प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया ताकि लोक लेखा समिति द्वारा बताए जाने तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए, समिति ने सिफारिश की थी कि ऐसे सहायक कार्यों के संबंध में सभी संबंधित एजेंसियों को एसओपी के साथ स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं ताकि एजेंसियां अपने उत्तरदायित्वों और कार्य को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से अच्छी तरह अवगत हो सकें। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि संबंधित प्रत्येक एजेंसी से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए ताकि मतभेद, यदि कोई हो, का समाधान कार्य की गति को बाधित

किए बिना किया जा सके। समिति ने सीपीडब्ल्यूडी के बात को नोट करते हुए कि परियोजना से संबंधित पुराने अभिलेखों को पुनः प्राप्त करना एक बोझिल प्रक्रिया थी, यह इच्छा व्यक्त की कि ऐसे सभी दस्तावेजों/पुराने डेटा (पुराने रिकॉर्ड) को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर डिजिटाइज़ किया जाए ताकि उन तक आसानी से पहुँच बनाई जा सके। समिति ने आगे यह सिफारिश की थी कि जिन दस्तावेजों को अभी भी भौतिक रूप में प्रस्तुत करना था, उन्हें डिजिटल रूप में भी प्रस्तुत किया जाए ताकि उसके गुम होने की कोई गुंजाइश न हो और एक डिजिटल ट्रेल को सक्षम किया जा सके।

13. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत बताया है:

"पूर्ण भवन को सौंपने से पहले स्थानीय निकायों से जहां कहीं भी आवश्यक हो, पूर्णता सह कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एसओपी दिनांक 11.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीजी/मैन.विविध/44 के तहत जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्यालय ज्ञापन संख्या 32/15/2021/डब्ल्यूआई/डीजी/166 दिनांक 21.06.2021 के तहत लंबित कब्जा प्रमाण पत्र की नियमित समीक्षा के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा डीडीजी (निर्माण), सीपीडब्ल्यूडी को लंबित ओसी की निगरानी के लिए मुख्यालय से नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। वेब आधारित परियोजना निगरानी प्रणाली (डब्ल्यूबीपीएमएस) में संशोधन किए गए हैं, जिससे अब कार्यों के लिए पूर्णता तिथि और पूर्णता प्रमाण पत्र की उपलब्धता को इंगित करना आवश्यक है। साथ ही डब्ल्यूबीपीएमएस को ऑटो-जेनरेट करने के लिए फिर से प्रोग्राम किया गया है और कार्यों के पूरा होने में देरी के मामले में अगले उच्च अधिकारी को संदेश अग्रेषित किया गया है। डब्ल्यूबीपीएमएस में कार्यों से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने का प्रावधान किया गया है, ताकि डिजिटल डाटा आसानी से उपलब्ध हो सके।"

14. लेखापरीक्षा ने निम्नवत टिप्पणियाँ दी हैं:

"तथ्य यह है कि सीपीडब्ल्यूडी ऐसे सहायक कार्यों के संबंध में सभी संबंधित एजेंसियों को एसओपी के साथ स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने पर चुप है। एसओपी की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप परियोजनाओं को पूरा करने की घोषणा से संबंधित औपचारिकताएं रुक सकती हैं। इस तरह के मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए अन्य एजेंसियों को समान

स्तर के मंच पर लाने के लिए किए गए प्रयासों को लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए पीएसी को अवगत कराया जा सकता है।

क्या अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा ऐसे अधिकारियों के नामांकन पर पीएसी के निर्देशों से उन्हें अवगत करा दिया गया, इस प्रश्न पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है। पीएसी को इस संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाए।

अपने उत्तर में, सीपीडब्ल्यूडी ने उन समय-सीमाओं को निर्दिष्ट नहीं किया जिसमें दस्तावेजों को डिजिटाइज़ किया जाएगा ताकि पुराने रिकॉर्ड आसानी से देखे जा सकें। इस तरह के कार्य के लिए समय-सीमा के बारे में पीएसी को लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए अवगत कराया जा सकता है।"

15. लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर में मंत्रालय ने निम्नलिखित बताया है:-

"पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित सीपीडब्ल्यूडी परियोजना इकाइयों की है। सीपीडब्ल्यूडी ने दिनांक 11.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन **(अनुबंध -एक)** के माध्यम से पूर्ण भवन को सौंपने से पहले स्थानीय निकायों से जहां कहीं आवश्यक हो, पूर्णता सह-कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने से संबंधित एजेंसियां अग्निशमन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय आदि हैं। ये एजेंसियां संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आती हैं। इन एजेंसियों द्वारा किए गए एसओपी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं और अपने स्वयं के नियमों द्वारा शासित होते हैं। स्थानीय एजेंसियों (स्थानीय शहरी निकाय, अग्निशमन विभाग आदि) के नोडल अधिकारी स्वयं द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। डीडीजी (निर्माण), सीपीडब्ल्यूडी को लंबित ओसी की निगरानी के लिए सीपीडब्ल्यूडी मुख्यालय में नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। वर्तमान में डिजिटलीकरण प्रगति पर है और जून 2023 तक इसके समाप्त होने की उम्मीद है।"

16. **समिति ने पाया था कि अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करने और विलम्ब की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने, जैसा कि इस मामले में हुआ है, के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु मंत्रालय का रवैय्या ढुलमुल और दृष्टिकोण उदासीन रहा है। समिति ने सिफारिश की थी कि ऐसे अनुषंगी कार्यकलापों के संबंध में सभी संबंधित एजेंसियों को एसओपी के साथ स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि एजेंसियों को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में अच्छी तरह से पता हो और कार्य**

पूरा कराने के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया का भी पता हो।समिति यह भी चाहती थी कि प्रत्येक संबंधित एजेंसी से एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाए ताकि कार्य की गति को बाधित किए बिना यदि कोई मतभेद हों तो उनका समाधान किया जा सके। इसके अलावा, समिति चाहती थी कि सभी पुराने डेटा (पुराने रिकॉर्ड) को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर डिजिटाइज़ किया जाए ताकि इनपर आसानी से पहुंच हो। समिति ने आगे सिफारिश की थी कि जिन दस्तावेजों को अभी भी भौतिक रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, उन्हें भी डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था, ताकि उनके खोने की कोई गुंजाइश न रहे और जो डिजिटल ट्रेल को सक्षम कर सके।

समिति मंत्रालय के उत्तर से यह नोट करती है कि पूर्ण रूप से निर्मित भवन को सौंपने से पूर्व स्थानीय निकायों से, जहां भी आवश्यक हो, समापन-सह-अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए एसओपी और लंबित अधिभोग प्रमाणपत्रों की नियमित समीक्षा के निर्देश जारी किए गए हैं/ समिति चाहती है कि उसे अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने में लगने वाले औसत समय और इसे कम करने के लिए नियमित समीक्षा के प्रभाव के बारे में बताया जाए। समिति यह नोट करते हुए कि एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली एसओपी हर राज्य में भिन्न-भिन्न होती है और अपने स्वयं के नियमों द्वारा शासित होती है, चाहती है कि अधिभोग प्रमाणपत्र की आवश्यकताओं को उस समय-सीमा के भीतर अनुषंगी कार्यों में शामिल एजेंसियों को अग्रिम रूप से सूचित किया जाना चाहिए जिसमें इन्हें प्रस्तुत करने की जरूरत है। समिति मंत्रालय के उत्तर से यह नोट करती है कि चूंकि अन्य एजेंसियां संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में हैं, इसलिए वे अपने स्वयं के नोडल अधिकारियों को तैनात करती हैं। तदनुसार, समिति चाहती है कि यदि किसी एजेंसी ने विशेष परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किए हैं, तो उनसे अनुरोध किया जा सकता है कि वे उनके साथ समन्वय संबंधी किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए नोडल अधिकारियों को तैनात करें। समिति पाती है कि डब्ल्यूबीपीएमएस में कार्यों से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने का प्रावधान किया गया है, ताकि डिजिटल डेटा आसानी से उपलब्ध हो और पुराने रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जा रहा है और यह प्रक्रिया जून 2023 तक पूरी होने की संभावना है। समिति आशा करती है कि उनके द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे और आज तक डिजिटाइज किए गए लिगेसी डेटा की स्थिति से वह अवगत होना चाहेंगी।

सिफारिश पैरा संख्या 5

17. समिति ने नोट किया था कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अलीगंज, नई दिल्ली में पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए एक नए भवन के निर्माण के कार्य को 86.97 करोड़ रुपये में एक ठेकेदार को प्रदान किया। समिति ने पाया कि, यद्यपि समझौते के तहत, ठेकेदार को यथावश्क पानी निकालने सहित पानी में या पानी के नीचे और / या लिक्विड मड के कारण 22,960 क्यूबिक मीटर पानी की मात्रा के लिए ठेकेदार को 22.96 लाख रुपए देय थे, आखिरकार ठेकेदार को 1,41,119.88 क्यूबिक मीटर पानी निकालने के लिए 79.25 लाख रुपये का भुगतान किया गया। समिति यह जानकर हैरान थी कि समझौते के अनुसार वास्तव में खुदाई की गई गीली मिट्टी की मात्रा की तुलना में भुगतान के लिए सहमत आंकड़ों में भिन्नता अनुमानित लागत से 3.5 गुना से अधिक थी। समिति मंत्रालय के उत्तर को नोट करके आश्चर्यचकित थी कि आंकलित जल स्तर के संबंध में मात्रा में विचलन भू-जल स्तर में परिवर्तन के कारण था और इस तरह का विचलन, सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल प्रावधानों और सीपीडब्ल्यूडी के सीएसक्यू अनुभाग (संविदा विनिर्देशन और गुणवत्ता आश्वासन) द्वारा जांच के बाद नियमानुसार और देय पाया गया। समिति आशंकित थी कि यदि इस हद तक विचलन की अनुमति दी जाती है, तो यह ठेकेदार को द्वलमुल रवैया अपनाने या मिलीभगत या धोखाधड़ी के लिए गुंजाइश छोड़ सकता है। इसलिए, समिति चाहती थी कि संविदाओं में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल किया जाए ताकि बोलीदाताओं को अनुमानित राशि का भुगतान करना पड़े जिनमें मूल अनुमान से काफी अंतर भिन्नता हो ताकि वे निर्माण-कार्य की मदों के अनुमान प्रस्तुत करते समय दोगुने सतर्क रहें। समिति यह भी चाहती थी कि संविदाओं के ऐसे मामलों से भी उसे अवगत कराया जाए, जिसमें विचलन पाया गया और पिछले तीन वर्षों में ऐसे मामलों की सीमा या परिमाण से भी उसे अवगत कराया जाए।

18. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत प्रस्तुत किया है:

> "अब सीपीडब्ल्यूडी में अधिकांश संविदाए ईपीसी आधार पर दी जा रही हैं, जिसमें जांच, डिजाइन, योजना, खरीद, निर्माण और सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। ईपीसी में विचलन की लागत केवल ठेकेदार को वहन करनी होती है। ईपीसी अनुबंधों को देखते हुए अब इस प्रकार के मामले नहीं हो रहे हैं।"

19. इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पुनरीक्षित टिप्पणियां दी हैं:-
"इस कार्रवाई पर आगे कोई टिप्पणी नहीं कि क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी में अधिकांश अनुबंध ईपीसी आधार पर किए जा रहे हैं।

यद्यपि सीपीडब्ल्यूडी ने लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए विचलन और पिछले तीन वर्षों में ऐसे मामलों के विस्तार या परिमाण के संबंध में दस्तावेजों को सूचित/प्रस्तुत नहीं किया, उन्होने बताया कि क्षेत्रों से विवरण मंगवाने का अनुरोध किया गया है और इसे प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसे अब पीएसी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

उनके उत्तर से यह पता चलता है कि सभी अनुबंध ईपीसी के आधार पर नहीं दिए गए। गैर-ईपीसी अनुबंधों के संबंध में, सीपीडब्ल्यूडी ने एटीआर के पुनरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा की मांग के जवाब में कहा, कि:

- मदों का अनुमान बोलीदाताओं द्वारा तैयार नहीं किया गया था और विचलन को सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा कार्य की आवश्यकता और वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन के अनुसार स्वीकृत किया गया था। चूंकि मदों का अनुमान सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया था, विचलन के मामले में भुगतान के लिए मात्रा को सीमित करना वांछनीय नहीं था और यह न्यायलय में भी चुनौती देने के लिए उपयुक्त नहीं है।
- ऐसी अनुबंधों में, बोलीदाताओं को कार्य मदों की मात्रा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी और उन्हें केवल सीपीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार की गई अनुमानित मात्रा की तुलना में दरें उद्धृत करने की आवश्यकता थी।

यह उत्तर, पीएसी की अनुशंसा पर दिए सीपीडब्ल्यूडी के उत्तर के संयोजन के साथ पढ़ने पर दर्शाता है कि सीपीडब्ल्यूडी को मिट्टी के प्रकार, इसके तकनीकी मापदंडों और उप-मृदा जल स्तर को निर्धारित करने के लिए विस्तृत भू-तकनीकी जांच करनी चाहिए। विस्तृत भू-तकनीकी जांच रिपोर्ट से संबंधित रिकॉर्ड के लिए वर्तमान मामले में, एटीआर के सत्यापन के दौरान सीपीडब्ल्यूडी से अनुरोध किया गया था। तथापि, तर्क के समर्थन में

कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसे अब पीएसी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

पीएसी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वर्तमान मामले में, सीपीडब्ल्यूडी ने खुदाई की गई मिट्टी की मात्रा के अनुमेय अनुमान से 3.5 गुना विचलन की अनुमति दी थी। चूंकि सभी संविदा ईपीसी आधार पर नहीं दी जा रही हैं, सीपीडब्ल्यूडी पीएसी को सूचित कर सकता है कि गैर-ईपीसी संविदाओं के लिए इस तरह की कमियों को दूर करने के लिए तंत्र नियोजित/अंगीकृत किया गया है।"

20. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में आगे निम्नवत प्रस्तुत किया है:

"पिछले 3 वर्षों में कार्यों में विचलन के ब्यौरा की प्रतियां संदर्भ के लिए इसके साथ संलग्न की गई हैं **(अनुबंध -दो)**। वर्तमान मामले के लिए मिट्टी की विस्तृत भू-तकनीकी जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है **(अनुबंध -तीन)**। गैर-ईपीसी अनुबंधों में इस तरह के विचलन को कम करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अपनाया गया तंत्र सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल, 2019 पैरा 3.1.16 में निर्दिष्ट है, इसमें तकनीकी मंजूरी देने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया गया है- (i) विस्तृत अनुमान, विस्तृत वास्तुशिल्प चित्र और विनिर्देश, (ii) भू-तकनीकी जांच रिपोर्ट (iii) वस्तुओं की मात्रा की गणना करने के लिए अधारशीला और प्रारंभिक संरचनात्मक चित्र के लिए संरचनात्मक चित्र, (iV) आंतरिक और बाहरी सेवाओं के लिए प्रारंभिक चित्र।"

21. **समझौते के अनुसार भुगतान के लिए सहमत आंकड़ों और किसी विशेष मामले में अनुमानित लागत से 3.5 गुना अधिक किए जा रहे वास्तविक भुगतान के बीच अंतर को देखते हुए समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि बोलीदाताओं को अनुमानित राशि,जिनमें मूल अनुमान से काफी अंतर आ जाता है, के लिए भुगतान करने के लिए अनुबंधों में उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाएं ताकि वे कार्यों की मदों के अनुमान प्रस्तुत करते समय दोगुना सतर्क रह सकें। समिति ने यह भी चाहा कि अनुबंधों के ऐसे मामलों से भी उसे अवगत कराया जाए, जिसमें**

विचलन पाया गया था और पिछले तीन वर्षों में ऐसे मामलों की सीमा या परिमाण से भी अवगत कराया जाए।

समिति मंत्रालय के उत्तर से यह नोट करती है कि चूंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधिकांश संविदाएं इंजीनियरी, खरीद और निर्माण (ईपीसी) आधार पर लिए जा रहे हैं, इसलिए जांच, डिजाइनिंग, योजना, खरीद, निर्माण और सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की है और इसलिए इस प्रकार के मामले की पुनरावृत्ति नहीं हो रही हैं। समिति नोट करती है कि गैर-ईपीसी संविदाओं के लिए, ऐसी कमियों को दूर करने के लिए तंत्र सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल, 2019 पैरा 3.1.16 में निर्दिष्ट है, जिसमें तकनीकी मंजूरी देने के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख किया गया है: (i) विस्तृत अनुमान, विस्तृत वास्तुशिल्प चित्र और विनिर्देश, (ii) भू-तकनीकी जांच रिपोर्ट, (iii) वस्तुओं की मात्रा की गणना करने के लिए अधिरचना की नींव और प्रारंभिक संरचनात्मक चित्रों के लिए संरचनात्मक चित्र, और (iV) आंतरिक एवं बाहरी सेवाओं के लिए प्रारंभिक चित्र। समिति चाहती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएं कि उक्त वर्क्स मैनुअल के प्रावधानों का अक्षरश: पालन किया जाए। यह नोट करते हुए कि कार्य की आवश्यकता तथा वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन के अनुसार गैर-ईपीसी अनुबंधों में, मदों के अनुमान बोलीदाताओं द्वारा तैयार नहीं किए जाते हैं और विचलन सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं समिति की राय है कि प्रत्येक विचलन के मामले को निगरानी, अनुमोदन और समीक्षा के लिए उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जा सकता है।

****

अध्याय - दो

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

टिप्पणी/सिफ़ारिश

समिति नोट करती है कि सीपीडब्ल्यूडी ने भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के लिए 57 आवासों का निर्माण किया और ठेकेदार को उसके लिए 2.81 करोड़ रुपये का भुगतान किया। समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि जनवरी 2005 में पूरा होने के लिए निर्धारित कार्य, अक्टूबर 2009 में पूरा किया जा सका, और लगभग 9 वर्षों की असाधारण देरी के बाद, अगस्त 2018 में डीडीए से समापन-सह-अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ था। समिति पाती है कि सीपीडब्ल्यूडी ने अपने की-गई- कार्रवाई टिप्पणों में बताया था कि उसे डीडीए द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज आईएमडी को प्रदान करके प्रमाण पत्र प्राप्त करने में केवल आईएमडी की सहायता करनी थी। हालांकि, इसके विपरीत, सचिव ने समिति के समक्ष अपने बयान में बताया कि यदि सीपीडब्ल्यूडी ने एक घर का निर्माण पूरा कर लिया है तो पूरा होने के बाद, उचित समय के भीतर अधिभोग और अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। सचिव के अनुसार, डीडीए और आईएमडी भी जिम्मेदार हैं क्योंकि आवंटियों ने पहले ही कब्जा लेना शुरू कर दिया था और वे घरों में रह रहे थे, लेकिन अधिभोग और समापन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। समिति को यह बात और भी खराब लगी कि 9 साल की देरी को किसी भी स्तर पर गंभीरता से नहीं लिया गया और समिति द्वारा उठाए जाने के बाद ही मंत्रालय ने कार्रवाई की थी और आखिरकार 3/8/18 को अर्थात इस विषय पर मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य के तीन दिनों के भीतर अधिभोग-सह-समापन प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसके अलावा, मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए जाने से एक दिन पहले अर्थात् 11.3.2020 को सीपीडब्ल्यूडी ने अपने कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की कि ग्राहक को भवन देने से पहले समापन-सह-अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए। समिति मंत्रालय के लिखित उत्तर से यह भी नोट किया कि परियोजनाओं की प्रगति को वेब आधारित परियोजना निगरानी प्रणाली (डब्ल्यूबीपीएमएस) सहित विभिन्न प्रकार के प्रबंधन साधनों का उपयोग करके अधिकारियों द्वारा फील्ड और हेड क्वार्टर स्तरों पर निगरानी की जाती है। समिति मंत्रालय के उत्तर से आगे यह भी नोट करती है कि सीपीडब्ल्यूडी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) को लागू करता रहेगा जिससे परियोजनाओं की निगरानी और वास्तविक समय के आधार पर सुधार के उपाय किए जाएंगे।मौखिक साक्ष्य के दौरान सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अधिभोग और समापन प्रमाण पत्र ऑनलाइन और एक निश्चित समय सीमा के भीतर जारी किए जा रहे हैं। समिति यह नोट कर निराश है कि इस तरह की निगरानी प्रणाली के बावजूद, देरी नहीं पकड़ी गई और मंत्रालय ने कार्रवाई तभी की जब इसे

समिति द्वारा उठाया गया। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि निगरानी तंत्र को यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत किया जाए कि विलंब / विचलन का कोई भी मामला समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए स्वतः वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आ जाए। समिति इस बात पर जोर देते हुए कि ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन पूरी प्रक्रिया की समीक्षा और संचालन के सभी क्षेत्रों में प्रक्रियाओं के मानकीकरण के बाद ही किया जाना चाहिए, चाहती है कि इस प्रणाली को एक निश्चित समय सीमा के भीतर लागू किया जाए और समिति को इसके बारे में अवगत कराया जाए। समिति यह भी चाहती है कि उसे उन परियोजनाओं की संख्या जो समय पर पूरी हो चुकी हैं और साथ ही उन परियोजनाओं की संख्या, जिनमें वेब आधारित निगरानी प्रणाली के लागू होने के बाद से देरी हुई है अथवा जो निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं, के संदर्भ में डब्ल्यूबीपीएमएस के प्रभाव से भी अवगत कराया जाए। समिति यह भी जानना चाहती है कि क्या डीडीए और आईएमडी में अधिभोग और समापन प्रमाण पत्र देरी से जारी करने के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई है, और अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना आवंटन कर दिए गए हैं।

[सिफारिश संख्या 1, लोक लेखा समिति के 25वें प्रतिवेदन का भाग-दो (17वीं लोक सभा)]

<u>की गई कार्रवाई</u>

सीपीडब्ल्यूडी में कार्यान्वित की जा रही ईआरपी आवेदन का उद्देश्य सभी मैनुअल प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करना और डैशबोर्ड निगरानी और नियंत्रण के लिए इसे एकीकृत करना है। ईआरपी प्रणाली को मौजूदा प्रक्रियाओं के गहन अध्ययन और समीक्षा के बाद कार्यान्वित किया जा रहा है और जहां भी आवश्यक हो, व्यावसायिक प्रक्रियाओं की पुनः इंजीनियरिंग की जा रही है। ईआरपी आवेदन जून 2022 तक पूरी तरह से लागू होने की संभावना है। डब्ल्यूबीपीएमएस प्रगति की निगरानी करने और जहां भी देरी हो रही है, सुधारात्मक उपाय करने में मदद करता है। डब्ल्यूबीपीएमएस की स्थापना के बाद से, पिछले 10 वर्षों में बेहतर निगरानी के कारण 2786 निर्माण कार्यों को समय पर पूरा किया गया है। ओसी प्राप्त करने में आईएमडी की कोई भूमिका नहीं है। डीडीए में देरी के लिए निदेशक (भवन), डीडीए को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मामले की जांच के बाद चेतावनी पत्र जारी किया गया।

<u>मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

निगरानी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के संबंध में मंत्रालय का उत्तर मौन है। जैसा भी हो, मंत्रालय का उत्तर ईआरपी आवेदन पर निगरानी उद्देश्यों के लिए पूर्ण निर्भरता दर्शाता है, जिसे अभी लागू किया जाना है और इसलिए यह उचित नहीं है। इसके अलावा, ईआरपी आवेदन के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में पीएसी को सूचित किया जाए।

पुनरीक्षण के दौरान, डब्ल्यूबीपीएमएस से सृजित पूर्ण कार्यों की रिपोर्ट से यह सत्यापित किया गया था कि 2786 निर्माण कार्य समय पर पूरे किए गए थे। तथापि, यह भी देखा गया कि 12378 निर्माण कार्य, जो कुल कार्यों का 81.6% होने के बावजूद समय पर पूर्ण नहीं किए गए थे । इस प्रकार, केवल 18.4% कार्य समय पर पूरे हुए। 12378 में से 31.03.2021 तक पूर्ण, लंबित निर्माण कार्यों का विवरण, पूर्ण होने की प्रारंभिक निर्धारित तिथि से पूर्ण होने में विलम्ब को स्पष्ट रूप से दर्शाता है और कार्यों के अभी भी पूरा नहीं होने के कारणों के साथ-साथ पूरा होने की प्रारंभिक निर्धारित तिथि के विवरण की सूचना पीएसी को दी जानी चाहिए।

श्री एस. के. त्रिपाठी, ईई (सी) और श्री एस. बी. शुक्ला, ईई (ई) के खिलाफ जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही का परिणाम पीएसी को अवगत कराया जा सकता है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर मंत्रालय की टिप्पणियां

परियोजनाओं के पूर्णता प्रमाण पत्र की निगरानी के लिए वेब आधारित परियोजना निगरानी प्रणाली में संशोधन करके निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। ईआरपी एप्लिकेशन का विकास प्रगति पर है। ईआरपी अनुप्रयोगों के कई मॉड्यूल जैसे लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल, ई-निविदा और ई-निलामी मॉड्यूल, मॉडल पीई/डीई मॉड्यूल और लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल को पूरा कर लिया गया है। अन्य मॉड्यूल प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। कार्यों का विवरण डब्ल्यूबीपीएमएस में रखा जाता है, लंबित निर्माण कार्यों का डेटा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदान किया जाता है। परियोजनाओं में देरी के व्यापक कारण कोविड -19, अपर्याप्त धन, स्थानीय निकाय की मंजूरी, साइट की मंजूरी, भूमि के मुद्दे, ठेकेदारों की विफलता और ग्राहकों से अनुमोदन और प्राकृतिक कारक आदि हैं।

दिनांक 22.10.2020 के आदेश द्वारा नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद श्री त्रिपाठी, ईई (सी) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया है। श्री शशि भूषण शुक्ला, ईई (सी) के मामले में दिनांक 05.04.2021 के आदेश के माध्यम से उन पर दंड लगाया गया है।

टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है सीपीडब्ल्यूडी को डीडीए से समापन-सह-अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक था। समिति यह भी नोट करती है कि आईएमडी ने बार-बार सीपीडब्ल्यूडी से 2009 से 2013 तक यानी 4 वर्षों से उसे प्राप्त करने का अनुरोध किया था। समिति आगे यह भी नोट करती है कि डीडीए की आवश्यकताओं के आधार पर सीपीडब्ल्यूडी ने कई बार दस्तावेज प्रस्तुत किए, हालाँकि, विभिन्न कमियों के कारण चार साल के लिए दो संगठनों के बीच इस विषय को एक दूसरे पर थोपकर नज़रअंदाज़ किया गया । समिति पाती है कि नवंबर 2015 में लेखापरीक्षा द्वारा पूछताछ किए जाने पर, सीपीडब्ल्यूडी ने सूचित किया था कि जून 2012 में डीडीए द्वारा वांछित आवश्यकताओं का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि परियोजना से संबंधित पुराने रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करना एक बोझिल कार्य था और संबंधित विभाग अन्य कार्यों में भी शामिल था। इसके अलावा, सीपीडब्ल्यूडी ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर अपने की-गई-कार्रवाई टिप्पण में बताया है कि डीडीए का कामकाज न तो पारदर्शी था और न ही सक्रिय था; डीडीए ने अपने काउंटरों पर सीपीडब्ल्यूडी द्वारा हाथ से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण सीपीडब्ल्यूडी को डाक द्वारा दस्तावेज जमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा; डीडीए ने कभी भी एक बार में अपनी टिप्पणियों की जानकारी नहीं दी और टुकड़ों-टुकड़ों में अपनी टिप्पणियां दी और वह भी सीपीडब्ल्यूडी से पत्राचार के बाद और सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा विभिन्न व्यक्तिगत मुलाकातों के बाद किया और कई बार, डीडीए ने सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्राप्ति से ही इनकार कर दिया। समिति, डीडीए के कामकाज पर सीपीडब्ल्यूडी द्वारा की गई तीखी टिप्पणी पर हैरान है और यह नहीं समझ पा रही है कि सीपीडब्ल्यूडी ने इन मुद्दों को समय पर हल करने के लिए मंत्रालय के साथ क्यों नहीं उठाया। समिति यह जानकर चकित है कि समिति द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने भी अपने नियंत्रणाधीन दो एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के लिए किसी भी जिम्मेदारी से केवल यह कहकर खुद को अलग कर लिया है कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर सीपीडब्ल्यूडी के संबंधित प्रभाग द्वारा दिए गए थे। समिति ने मंत्रालय के उदासीन और ढुलमूल रवैये की निंदा की क्योंकि जब तक कि लोक लेखा समिति द्वारा इस विषय को नहीं उठाया गया तब तक मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने या प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ऐसे सभी अनुषंगी कार्यकलापों के संबंध में एजेंसियों को एसओपी के साथ स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि एजेंसियों को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में अच्छी तरह से पता हो और कार्य पूरा कराने के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया का भी पता हो। समिति यह भी चाहती है कि संबंधित प्रत्येक एजेंसी के एक नोडल अधिकारी को नियुक्त

किया जाए ताकि काम की गति को बाधित किए बिना मतभेदों, यदि कोई हो, का समाधान हो। समिति सीपीडब्ल्यूडी के कथन को नोट करते हुए कि परियोजना से संबंधित पुराने रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करना एक बोझिल कवायद थी, चाहती है कि ऐसे सभी दस्तावेजों / लेगसी डेटा (पुराने रिकॉर्ड) को निर्धारित समय सीमा के भीतर डिजिटाइज़ किया जाए ताकि इनपर आसानी से पहुंच हो । इसके अलावा, जिन दस्तावेजों को अभी भी भौतिक रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, उन्हें भी डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि उनके खोने की कोई गुंजाइश न हो और डिजिटल ट्रेल को सक्षम कर सके।

[सिफारिश सं.2, लोक लेखा समिति के 25वें प्रतिवेदन का भाग-दो

(17वीं लोक सभा)]

<u>की- गई- कार्रवाई</u>

पूर्ण भवन को सौंपने से पहले स्थानीय निकायों से जहां कहीं भी आवश्यक हो, पूर्णता सह कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एसओपी दिनांक 11.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीजी/मैन.विविध/44 के तहत जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्यालय ज्ञापन संख्या 32/15/2021/डब्ल्यूआई/डीजी/166 दिनांक 21.06.2021 के तहत लंबित कब्जा प्रमाण पत्र की नियमित समीक्षा के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा डीडीजी (निर्माण), सीपीडब्ल्यूडी को लंबित ओसी की निगरानी के लिए मुख्यालय से नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। वेब आधारित परियोजना निगरानी प्रणाली (डब्ल्यूबीपीएमएस) में संशोधन किए गए हैं, जिससे अब कार्यों के लिए पूर्णता तिथि और पूर्णता प्रमाण पत्र की उपलब्धता को इंगित करना आवश्यक है। साथ ही डब्ल्यूबीपीएमएस को ऑटो-जेनरेट करने के लिए फिर से प्रोग्राम किया गया है और कार्यों के पूरा होने में देरी के मामले में अगले उच्च अधिकारी को संदेश अग्रेषित किया गया है। डब्ल्यूबीपीएमएस में कार्यों से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने का प्रावधान किया गया है, ताकि डिजिटल डाटा आसानी से उपलब्ध हो सके।

<u>मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

तथ्य यह है कि सीपीडब्ल्यूडी ऐसे सहायक कार्यों के संबंध में सभी संबंधित एजेंसियों को एसओपी के साथ स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने पर चुप है। एसओपी की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप परियोजनाओं को पूरा करने की घोषणा से संबंधित औपचारिकताएं रुक सकती हैं। इस तरह के मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए अन्य एजेंसियों को समान स्तर के मंच पर लाने

के लिए किए गए प्रयासों को लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए पीएसी को अवगत कराया जा सकता है।

इस पर कोई उत्तर नहीं है कि क्या अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा ऐसे अधिकारियों के नामांकन पर पीएसी के निर्देशों से उन्हें अवगत करा दिया गया है। पीएसी को इस संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाए।

अपने जवाब में, सीपीडब्ल्यूडी ने उन समय-सीमाओं को निर्दिष्ट नहीं किया जिसमें दस्तावेजों को डिजिटाइज़ किया जाएगा ताकि पुराने रिकॉर्ड आसानी से देखे जा सकें। इस तरह के कार्य के लिए समय-सीमा के बारे में पीएसी को लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए अवगत कराया जा सकता है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर मंत्रालय की टिप्पणियां

पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित सीपीडब्ल्यूडी परियोजना इकाइयों के पास है। सीपीडब्ल्यूडी ने दिनांक 11.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन **(अनुबंध -एक)** के माध्यम से पूर्ण भवन को सौंपने से पहले स्थानीय निकायों से जहां कहीं आवश्यक हो, पूर्णता सह-कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने से संबंधित एजेंसियां अग्निशमन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय आदि हैं। ये एजेंसियां संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आती हैं। इन एजेंसियों द्वारा किए गए एसओपी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं और अपने स्वयं के नियमों द्वारा शासित होते हैं। स्थानीय एजेंसियों (स्थानीय शहरी निकाय, अग्निशमन विभाग आदि) के नोडल अधिकारी स्वयं द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। डीडीजी (निर्माण), सीपीडब्ल्यूडी को लंबित ओसी की निगरानी के लिए सीपीडब्ल्यूडी मुख्यालय में नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। वर्तमान में डिजिटलीकरण प्रगति पर है और जून 2023 तक इसके समाप्त होने की उम्मीद है।

टिप्पणी/सिफारिश

समिति नोट करती है कि सीपीडब्ल्यूडी ने समापन-सह-अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को यथासमय डीडीए को अग्रेषित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रमाण पत्र 8 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद जारी किया गया था। समिति नोट करती है कि विलंब के लिए, सीसीएस (सीसीए) के नियम 14 नियम, 1965 के तहत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई है और जांच चल रही है। मंत्रालय के उत्तर से समिति नोट

करती है कि अब, न्यू सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2019 (पैरा 5.17.3) निर्दिष्ट करता है कि प्रभारी अभियंता और संबंधित वास्तुकार क्लाइंट की ओर से ओसी / सीसी प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह नोट करते हुए कि सीपीडब्ल्यूडी ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए जाने से एक दिन पहले अर्थात 11.3.2020 को पूर्ण रूप से निर्मित भवन को सौंपने से पूर्व समापन-सह-अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की, समिति इस बात से चिंतित है कि मंत्रालय / सीपीडब्ल्यूडी के ढुलमुल रवैये के कारण संपत्ति को 9 साल तक निष्क्रिय रखने के अलावा राजकोष को 1.53 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। समिति चाहती है कि उपर्युक्त जांच जल्द से जल्द पूरी हो और इसके लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और समिति को इस बारे में बताया जाए। समिति यह नोट करते हुए कि अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड-2 में यह निर्दिष्ट है कि परियोजनाओं के पूरा होने में देरी की स्थिति में कार्रवाई की जाए, चाहती है कि उसे मंत्रालय/सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वर्तमान मामले में तथा उन मामलों में जिनमें इस खंड के संदर्भ में कार्रवाई की गई है और साथ ही गत पांच वर्षों में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उनसे उसे अवगत कराया जाए।

[सिफारिश संख्या 3, लोक लेखा समिति के 25वें प्रतिवेदन का भाग-दो (17वीं लोक सभा)]

<u>की गई कार्रवाई</u>

सीसीएस (सीसीए) नियम के नियम 14 के तहत श्री एस.के. त्रिपाठी, ईई (सी) और एस.बी. शुक्ला, ईई (सी) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। श्री एस.के. त्रिपाठी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी कर ली गई है। श्री एस.बी. शुक्ला के मामले में यह मामला यूपीएससी के परामर्श के अधीन है। वर्तमान मामले में खंड 2 के तहत अनुबंध की सामान्य शर्तों (जी.सी.सी.) के खंड 2 के तहत कार्रवाई नहीं बनती है, पिछले पांच वर्षों में जी.सी.सी. के खंड 2 के तहत 315 मामलों में कार्रवाई की गई है।

<u>मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा मांग की गई थी, किंतु सीपीडब्ल्यूडी ने जांच से संबंधित जानकारी/अभिलेखों को और जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई की सूचना/प्रेषण नहीं किया। श्री एस.के. त्रिपाठी, ईई (सी) और श्री एस.बी. शुक्ला, ईई (ई) के खिलाफ जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम से पीएसी को अवगत कराया जाए।

टिप्पणी, वर्तमान मामले में अनुबंध की सामान्य शर्तों (जी.सी.सी.) के खंड 2 के तहत कार्रवाई नहीं बनती है - आगे कोई टिप्पणी नहीं।

बंगलौर क्षेत्र, गुवाहाटी क्षेत्र और सीमा से संबंधित 97 मामलों को दर्शाने वाला ब्यौरा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया था। शेष 218 मामलों के ब्यौरे से पीएसी को अवगत कराया जाए ।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर मंत्रालय की टिप्पणियां

दिनांक 22.10.2020 के आदेश के तहत श्री त्रिपाठी, ईई (सी) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी कर ली गई है। श्री शशि भूषण शुक्ला, ईई (सी) के मामले में दिनांक 05.04.2021 के आदेश के माध्यम से उन पर दंड लगाया गया है।

शेष 218 मामलों का ब्यौरा जहां अनुबंध के खंड 2 के तहत की गई कार्रवाई इस प्रकार है: पीआर मुंबई- 4 मामले, पीआर चंडीगढ़-3 मामले, पीआर चेन्नई-13 मामले, क्षेत्र दिल्ली -35 मामले, पीआर दिल्ली -6 मामले, रीजन चंडीगढ़-41 मामले, क्षेत्र लखनऊ-37 मामले, रीजन चेन्नई-18 मामले, रीजन हैदराबाद-35 मामले, रीजन मुंबई-26 मामले।

टिप्पणी/सिफारिश

लेखापरीक्षा टिप्पणी से समिति यह नोट करती है कि सीपीडब्ल्यूडी मुद्रा नोट प्रेस (सीएनपी) और भारत सुरक्षा प्रेस (आईएसपी), नासिक के निर्माण कार्यों पर 12 प्रतिशत (यानी 0.59 करोड़ रुपये) के विभागीय प्रभार वसूलने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप 0.59 करोड़ रुपये के राजस्व का कम संग्रह हुआ। लेखापरीक्षा के अनुसार, नियमों के तहत, केवल केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त निकायों को विभागीय प्रभारों का भुगतान करने से छूट दी जाती है, और आईएसपी और सीएनपी, जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) का हिस्सा हैं, भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी को छूट नहीं है। समिति यह नोट करके हैरान है कि प्रेस की स्थिति पर स्पष्टता या भ्रम की स्थिति के कारण प्रभार नहीं लगाए जा सकते हैं और उनकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को पूरे एक वर्ष का समय लगा। समिति मौखिक साक्ष्यों के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधियों के द्वारा दी गयी जानकारी से यह नोट करती है कि वे इस सम्बन्ध में एक परिपत्र जारी करेंगे कि हर बार जब कोई परियोजना शुरू की जाती है, तो संगठन की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए । समिति 'भ्रम' को लेकर मंत्रालय की उस सफाई पर आपत्ति जताती है

जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एसपीएमसीआईएल वेबसाइट की जांच मात्र या सरल जाँच से भ्रम की स्थिति दूर हो जाती। इसलिए, समिति चाहती है कि संबंधित अधिकारियों को उन्हें जागरूक करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें मौजूदा नियमों और विनियमों और किसी भी संशोधन के बारे में यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति न हो, अद्यतन जानकारी दी जाए।

[सिफारिश संख्या 4, लोक लेखा समिति के 25वें प्रतिवेदन का भाग-दो (17वीं लोक सभा)]

<u>की- गई- कार्रवाई</u>

प्रशिक्षण अकादमी पहले ही संबंधित विषयों पर सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित कर चुकी है। यह भी पुष्टि की जाती है कि अकादमी भविष्य में पीएसी की सिफारिश के अनुसार उचित स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करेगी। इसके अलावा, कार्यालय ज्ञापन संख्या डीजी/एमएएन/401 दिनांक 08.06.2020 के तहत सीपीडब्ल्यूडी ने संगठन के वित्त पोषण के संबंध में ग्राहक विभाग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी किया है कि क्या यह पूरी तरह से वित्त पोषित/आंशिक रूप से केंद्र सरकार/राज्य सरकार, निजी संगठन, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि द्वारा वित्त पोषित है।

<u>मंत्रालय के की-गई-कार्रवाई टिप्पण पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां</u>

कोई आगे टिप्पणी नहीं।

<u>लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर मंत्रालय की टिप्पणी</u>

कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं।

<u>टिप्पणी / सिफारिश</u>

समिति नोट करती है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अलीगंज, नई दिल्ली में पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए एक नए भवन के निर्माण के कार्य को 86.97 करोड़ रुपये में एक ठेकेदार को प्रदान किया। समिति ने पाया कि, यद्यपि समझौते के तहत, ठेकेदार को

यथावश्क पानी निकालने सहित पानी में या पानी के नीचे और / या लिक्विड मड के कारण 22,960 क्यूबिक मीटर पानी की मात्रा के लिए ठेकेदार को 22.96 लाख रुपए देय थे, आखिरकार ठेकेदार को 1,41,119.88 क्यूबिक मीटर पानी निकालने के लिए 79.25 लाख रुपये का भुगतान किया गया। समिति यह जानकर हैरान है कि समझौते के अनुसार वास्तव में खुदाई की गई गीली मिट्टी की मात्रा की तुलना में भुगतान के लिए सहमत आंकड़ों में भिन्नता अनुमानित लागत से 3.5 गुना से अधिक थी। समिति मंत्रालय के उत्तर को नोट करके आश्चर्यचकित है कि आकलित जल स्तर के संबंध में मात्रा में विचलन भू-जल स्तर में परिवर्तन के कारण था और इस तरह का विचलन, सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल प्रावधानों और सीपीडब्ल्यूडी के सीएसक्यू अनुभाग (संविदा विनिर्देशन और गुणवत्ता आश्वासन) द्वारा जांच के बाद नियमानुसार और देय पाया गया। समिति आशंकित है कि यदि इस हद तक विचलन की अनुमति दी जाती है, तो यह ठेकेदार को ढुलमुल रवैया अपनाने या मिलीभगत या धोखाधड़ी के लिए गुंजाइश छोड़ सकता है। इसलिए, समिति चाहती है कि संविदाओं में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल किया जाए ताकि बोलीदाताओं को अनुमानित राशि का भुगतान करना पड़े जिनमें मूल अनुमान से काफी अंतर भिन्नत हो ताकि वे निर्माण-कार्य की मदों के अनुमान प्रस्तुत करते समय दोगुने सतर्क रहें। समिति चाहती है कि संविदाओं के ऐसे मामलों से भी उसे अवगत कराया जाए, जिसमें विचलन पाया गया और पिछले तीन वर्षों में ऐसे मामलों की सीमा या परिमाण से भी उसे अवगत कराया जाए।

[सिफारिश संख्या 5, लोक लेखा समिति के 25वें प्रतिवेदन का भाग –दो (17वीं लोकसभा)]

<u>की गई कार्रवाई</u>

अब सीपीडब्ल्यूडी में अधिकांश संविदाए ईपीसी आधार पर दिए जा रहे हैं, जिसमें जांच, डिजाइन, योजना, खरीद, निर्माण और सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। ईपीसी में विचलन की लागत केवल ठेकेदार को वहन करनी होती है। ईपीसी अनुबंधों को देखते हुए अब इस प्रकार के मामले नहीं हो रहे हैं।

<u>मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियाँ</u>

इस कार्रवाई पर आगे कोई टिप्पणी नहीं की क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी में अधिकांश अनुबंध ईपीसी आधार पर किए जा रहे हैं।

यद्यपि सीपीडब्ल्यूडी ने लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए विचलन और पिछले तीन वर्षों में ऐसे मामलों के विस्तार या परिमाण के संबंध में दस्तावेजों को सूचित/प्रस्तुत नहीं किया, उन्होने बताया कि क्षेत्रों से विवरण मंगवाने का अनुरोध किया गया है और इसे प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसे अब पीएसी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

उनके उत्तर से यह पता चलता है कि सभी अनुबंध ईपीसी के आधार पर नहीं दिए गए। गैर-ईपीसी अनुबंधों के संबंध में, सीपीडब्ल्यूडी ने की गई कार्रवाई के पुनरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा की मांग के जवाब में कहा, कि:

मदों का अनुमान बोलीदाताओं द्वारा तैयार नहीं किया गया था और विचलन को सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा कार्य की आवश्यकता और वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन के अनुसार स्वीकृत किया गया था। चूंकि मदों का अनुमान सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया था, विचलन के मामले में भुगतान के लिए मात्रा को सीमित करना वांछनीय नहीं था और यह न्यायलय में भी चुनौती देने के लिए उपयुक्त नहीं है।

ऐसी अनुबंधों में, बोलीदाताओं को कार्य मदों की मात्रा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी और उन्हें केवल सीपीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार की गई अनुमानित मात्रा की तुलना में दरें उद्धृत करने की आवश्यकता थी।

यह उत्तर, पीएसी की अनुशंसा पर दिए सीपीडब्ल्यूडी के उत्तर के संयोजन के साथ पढ़ने पर दर्शाता है कि सीपीडब्ल्यूडी को मिट्टी के प्रकार, इसके तकनीकी मापदंडों और उप-मृदा जल स्तर को निर्धारित करने के लिए विस्तृत भू-तकनीकी जांच करनी चाहिए। विस्तृत भू-तकनीकी जांच प्रतिवेदन से संबंधित रिकॉर्ड के लिए वर्तमान मामले में, एटीआर के सत्यापन के दौरान सीपीडब्ल्यूडी से अनुरोध किया गया था। तथापि, तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसे अब लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किया जा सकता है।

पीएसी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वर्तमान मामले में, सीपीडब्ल्यूडी ने खुदाई की गई मिट्टी की मात्रा के अनुमेय अनुमान से 3.5 गुना विचलन की अनुमति दी थी। चूंकि सभी अनुबंध ईपीसी आधार पर नहीं दिए जा रहे हैं, सीपीडब्ल्यूडी पीएसी को सूचित कर सकता है कि गैर-ईपीसी अनुबंधों के लिए इस तरह की कमियों को दूर करने के लिए तंत्र नियोजित/अंगीकृत किया गया है।

लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर मंत्रालय की टिप्पणी

पिछले 3 वर्षों में कार्यों में विचलन के ब्यौरा की प्रतियां संदर्भ के लिए इसके साथ संलग्न की गई हैं **(अनुबंध -2)**। वर्तमान मामले के लिए मिट्टी की विस्तृत भू-तकनीकी जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है **(अनुबंध -3)**। गैर-ईपीसी अनुबंधों में इस तरह के विचलन को कम करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अपनाया गया तंत्र सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल, 2019 पैरा 3.1.16 में निर्दिष्ट है, इसमें तकनीकी मंजूरी देने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया गया है- (i) विस्तृत अनुमान, विस्तृत वास्तुशिल्प चित्र और विनिर्देश, (ii) भू-तकनीकी जांच रिपोर्ट (iii) वस्तुओं की मात्रा की गणना करने के लिए अधारशीला और प्रारंभिक संरचनात्मक चित्र के लिए संरचनात्मक चित्र, (iv) आंतरिक और बाहरी सेवाओं के लिए प्रारंभिक चित्र।

टिप्पणी / सिफारिश

लेखापरीक्षा के अनुसार, जैसाकि ऊपर बताया गया है, 'मात्राओं की अनुसूची' के पैरा 1.6.1 के अनुसार, समझौते के भाग के रूप में 22.96 लाख रुपये की राशि 22,960 क्यूबिक मीटर मात्रा के लिए यथावश्यक पानी निकालने सहित पानी में या पानी के नीचे और / या लिक्विड मड के नीचे, देय होने पर सहमति व्यक्त की गई थी'। इसके अलावा, लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुसार, समझौते का भाग बने 'अतिरिक्त विनिर्देशो' के पैरा 1.4 में कहा गया है, "ठेकेदार साइट का निरीक्षण करें और निष्पादन के समय सामने आने वाले भूमि के नीचे के जल स्तर के बारे में अपना आकलन करें और उसके अनुसार अपनी दरों का उद्धरण दें। सभी वस्तुओं की दर आवश्यकतानुसार पानी को पंप कर निकालने या बाहर निकालने में सम्मिलित थी। इस पर उन्हें कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाना था। " तथापि, ठेकेदार को 1,41,119.88 क्यूबिक मीटर पानी निकालने के लिए 79.25 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इस संबंध में, समिति मंत्रालय के उत्तर को नोट करती है कि खंड 1.4 और मद नंबर 1.6.1 निर्माण के विभिन्न चरणों पर लागू होते हैं और एक दूसरे से संबंधित / अतिव्यापी नहीं थे। मंत्रालय के अनुसार, चूंकि खुदाई (जो भवन निर्माण का चरण -1 है) गीली मिट्टी (पानी लिक्वड मड में या अंदर) में की गई थी, खुदाई कराई और भराई भी अतिरिक्त दर के लिए मद 1.6.1 के तहत भुगतान किया जाना था और यह इस मद की मात्रा में विचलन के लिए राशि का भुगतान किया गया। मंत्रालय के अनुसार, खंड 1.4 खुदाई पूरी होने के बाद भवन निर्माण के केवल चरण 2 पर ही लागू था, यानी बेसमेंट स्लैब पर पानी के दबाव को कम करने के लिए बेसमेंट के स्लैब / रापेट को कंकरीट बनाने के समय बेसमेंट के पक्का करने/ निर्माण के समय पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए पानी को बाहर निकालने/पंप करने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया था। समिति मंत्रालय के उत्तर को भी नोट करती है कि मात्रा में विचलन के लिए भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और सीपीडब्ल्यूडी के सीएसक्यू (संविदा विनिर्देशन और गुणवत्ता आश्वासन) अनुभाग द्वारा जांच के बाद किया गया था। समिति खंडों में अस्पष्टता पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया को नोट करके हैरान है कि उस भूमि के नीचे के जल स्तर के बारे में पूर्वानुमान व्यवहार्य नहीं था और वास्तव में इसका पता नींव की खुदाई के दौरान चला। समिति का सुविचारित मत है कि, सीपीडब्ल्यूडी 166 वर्ष पुराना ऐसा संगठन है, जिसके पास वास्तुकला, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन सहित विषयों में पेशेवर विशेषज्ञता और भवन निर्माण और रखरखाव में व्यापक अनुभव है। यह उम्मीद की जाती है कि सीपीडब्ल्यूडी विश्वसनीय और व्यापक डेटा तथा भूमि के नीचे के जल स्तर का आकलन और अनुमान लगाने वाले तकनीकी जानकारों का भंडार होगा, जो इसे अपनी संविदा के प्रावधानों को और भी त्रुटिरहित बनाने और अनुमानों का बेहतर मूल्यांकन करने में सक्षम बनाएगा। इसलिए, समिति चाहती है कि अगर सीपीडब्ल्यूडी के पास भूजल स्तर पर किसी भी आंकड़े / रिपोर्ट का उल्लेख है, जहां भी इस तरह

की परियोजनाएं शुरू की जाती हैं या इस क्षेत्र में तकनीकी या इंजीनियरिंग विशेषज्ञों से परामर्श किया जाता है, तो इससे समिति को अवगत कराया जाए। यह देखते हुए कि काम की संविदाओं के खंडों की अनुप्रयोज्यता में स्पष्टता का अभाव था, समिति चाहती है कि इस बात से अवगत कराया जाए कि क्या मंत्रालय / सीपीडब्ल्यूडी ने सीपीडब्ल्यूडी के यह सुनिश्चित करने के लिए संविदा समझौतों का कोई आकलन किया है कि ऐसे खंडों, जिसमें काम की मदों की लागत में भ्रम पैदा होता है, उन्हें भावी समझौतों में शामिल करने से पहले त्रुटिरहित बनाया जाए,

[सिफारिश संख्या 6, लोक लेखा समिति के 25वें प्रतिवेदन का भाग –दो (17वीं लोकसभा)]

की गई कार्रवाई

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मिट्टी के प्रकार, इसके तकनीकी मानकों और उप-मृदा जल स्तर को निर्धारित करने के लिए विस्तृत भू-तकनीकी जांच करता है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग वर्क्स मैनुअल एसओपी सं. 4/8 में पहले से ही प्रावधान है कि एनआईटी को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि एनआईटी शर्तों में कोई विरोधाभासी प्रावधान नहीं हैं। इसके अलावा, अब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधिकांश अनुबंध ईपीसी आधार पर हैं, जिनमें जांच, डिजाइन, योजना, खरीद, निर्माण और सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। इसलिए अब विचलन की लागत केवल ठेकेदार के पास है।

मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियां

यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा मांग की गई थी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस मामले या किसी अन्य परियोजना से संबंधित "भूजल स्तर पर कोई डेटा/रिपोर्ट जहां भी ऐसी परियोजनाएं शुरू की जाती हैं या क्षेत्र में तकनीकी या इंजीनियरिंग से परामर्श करता है" के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए और लेखापरीक्षा में सत्यापन के लिए, यह बताते हुए कि क्षेत्रों से ब्यौरों के लिए अनुरोध किया गया था और प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाएगा अब पीएसी को भी इसकी जानकारी दी जा सकती है।

यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा मांग की गई थी, सीपीडब्ल्यूडी ने सीपीडब्ल्यूडी के अनुबंध समझौतों के मूल्यांकन के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी/अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया था, ऐसे खंड सुनिश्चित करते हैं जिसमें काम की वस्तुओं की लागत में भ्रम पैदा होता है। इसे अब पीएसी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर मंत्रालय की टिप्पणी

वर्तमान मामले में, भू-तकनीकी जांच से संबंधित अभिलेख संलग्न हैं **(अनुबंध-3)**। अनुबंध के प्रावधानों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए, अनुबंध की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की शर्तों के खंड 8 में एक विस्तृत प्रक्रिया निर्दिष्ट है **(अनुबंध-4)**।

अध्याय–तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

-शून्य-

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं तथा जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

-शून्य-

अध्याय–पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किये हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;

07 दिसंबर, 2022

16 अग्रहायण, 1944 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

परिशिष्ट-दो

(देखिए प्राक्कथन का पैरा 5)

लोक लेखा समिति के 25वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

(एक)	टिप्पणियों/सिफारिशों की कुल संख्या	06
(दो)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है: पैरा सं. 1,2,3,4,5, और 6	कुल: 06 प्रतिशत: 100%
(तीन)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती: पैरा सं. - शून्य	कुल: शून्य प्रतिशत: 0%
(चार)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किये गए हैं तथा जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है : पैरा सं. - शून्य	कुल: शून्य प्रतिशत: 0%
(पांच)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए है: पैरा सं. - शून्य	कुल: शून्य प्रतिशत: 0%